असमान और भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने से महिलाओं के लिए न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना होगी: लोक सभा अध्यक्ष

...

भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है: लोक सभा अध्यक्ष

...

कोरिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने पैनल चर्चा में श्री बिरला के विचारों की प्रशंसा की

...

महात्मा गांधी का संदेश 5WCSP में गूंजा; युगांडा की प्रतिनिधि ने महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों को उद्धृत किया

...

श्री बिरला ने रूसी सीनेट के अध्यक्ष के साथ साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की

वियना 08 सितंबर 2021: संसद के अध्यक्षों के पांचवें विश्व सम्मेलन (5डब्ल्यूसीएसपी) के दौरान लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज 'महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों को निरस्त करना ही लैंगिक समानता की दिशा में एकमात्र उपाय है' विषय पर हुई पैनल चर्चा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पैनल चर्चा के दौरान श्री बिरला ने कहा कि असमान और भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने से महिलाओं के लिए न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना होगी। भारत के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत के सभी नागरिक, चाहे पुरुष हों या महिला, कानून के समक्ष समान हैं, और उन्हें कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। श्री बिरला ने जोर देकर कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सशक्त बनाता है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी निर्वाचित स्थानीय स्वशासी निकायों में, महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के कई राज्यों ने अपनी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है जो एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। इसके परिणामस्वरूप , 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 13.79 लाख यानी 46% महिला प्रतिनिधि हैं।

श्री बिरला ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत में महिलाएं ब्यूरोक्रेट , लेखक, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को विश्वास है कि महिला-पुरुष के बीच समानता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सशक्तिकरण के लिए विधायी ढांचे पर प्रकाश डालते हुए, श्री बिरला ने कहा कि संसद द्वारा पारित कई प्रगतिशील कानूनों ने महिलाओं के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को मजबूत किया है। श्री बिरला ने राष्ट्रीय

महिला अधिकारिता मिशन और जन धन जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों ने महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

लैंगिक असमानता को दूर करने के उपायों के बारे में बोलते हुए श्री बिरला ने शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता के बारे में बात की और जोर देकर कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर जोर देने से एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा।

कोरिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने पैनल चर्चा में श्री बिरला के विचारों की प्रशंसा की

श्री बिरला से द्विपक्षीय बैठक के दौरान कोरिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री ब्योंग सेग पार्क पैनल चर्चा के दौरान महिला सशक्तिकरण पर उनके उद्गारों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों के बारे में श्री बिरला के विचार सदस्य संसदों में एक सकारात्मक संदेश देंगे ।

महात्मा गांधी का संदेश 5WCSP में गूंजा; युगांडा की प्रतिनिधि ने महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों को उद्धृत किया।

5WCSP के दौरान समाज में सकारात्मक बदलाव पर महात्मा गांधी के संदेश के संदेश को उद्धृत किया गया । युगांडा की सांसद मिस सारा ओपेंडी ने श्री बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान महात्मा गांधी का स्मरण किया और कहा कि हमें वह बदलाव बनना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं।

श्री बिरला ने रूसी सीनेट के अध्यक्ष के साथ साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की

श्री बिरला ने रूसी सीनेट की अध्यक्ष सुश्री वेलेंटीना मतवियेंको के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और संसदीय सहयोग, क्षमता निर्माण और COVID-19 के टीकाकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित सामान्य हित के मुद्दों पर विचार साझा किए।